


AM 13·31
Nty 1·25
ME·44
15·00
HL 1·
P'ai 1·44
2·44
17·44

१ नामलेख्य :- बसन्त महतो पिता का नाम स्वर्गीय मकुन्दी महतो बर्शा चांई कर्मी खेती (ग्रामे) महल्ला सिकन्द्र पुर प्र० फुलवारी थाना दानापुर आकसाना दीघा जिला पटना के हैं।

२ नामलेख्य :- मौ समात गुलबिया बिधवा स्वर्गीय गंगा महतो बर्शा कौउरी कर्मी खेती महल्ला चकमुसलह पुर प्र० हवेली ग्रजीमबाद जिला पटना थाना कदमकुग्रां आकसाना मेहन्दु।

३ लेख्य प्रकार :- बिक्रय पत्र। (Sale deed)

४ मूल्य :- ग्रंकें २०००(दो हजार रुपया) जिसका ग्राक्षा ग्रंकें (१०००) एक हजार रुपया होता है।

५ सम्पत्ति :- सम्पत्ति संख्या (५०) पच्चास डिसमल मिनजुमल (१ १-०३०) एक इकड़ दो दिसमल सम्पत्ति खाना संख्या की ग्रन्दि ३२ रैती है। ग्रामे सिकन्द्रपुर महल्ल शेशतम पुर शोहदपुर प्र० फुलवारी थाना बा० सबरजिस्ट्री दानापुर सदर रजिस्ट्री बा० जिला पटना बतौजी पुरुष थाना ७१७ खाना ७४१ जिसकी बार्षिक कुर ग्रंकें ५।) ।।० (पांच रुपया साढ़े पांच ग्रानां मैं शेष।




जो बिहार सरकार पटना द्वारा ग्रंचल प्राधिकारी दानापुर उ० दानापुर जिला पटना के प्राधिकार है।

जिला सर्वे पोच्छधारी नं० ४ ग्राम० ९१-०डि० के दक्षिण।

९- डि० उत्तर — दक्षिण — पुरब — पश्चिम
x — ५० लैरन्धकारीशि — रामदास — अप्पो — अहरा।
यानि मौ० गुलाबिया सिंह। जाँच।

उपरोक्त सम्पत्ति खाना संख्या ५ लैरन्धकारी के पिता महोदय श्री है जो इससमय लैरन्धकारी के नाम से रसीद कटती चली आती है जो हर प्रकार के झगड़ा से फ्रिल है सिर्फ बन्धकी प्रधिकार यानि रेहन दखली में है जो यह कटता नहीं है जिस को रेहन धारक देना आवश्यक है इसलिए श्री भी लैरन्धकारी के सुपुत्री के विवाह है जिसमें हमलों की आवश्यकता है बाबिना बिक्रयपत्र लिखे रुपये की सामान नहीं हो सकते है इसलिये लैरन्धकारी ने इच्छा की अपने मन की स्वतंत्रता से श्रेक ३००००० दो हजार रुपये में लैरन्धकारीशि खानासंख्या २ के नाम सम्पत्ति खाना संख्या ५ को बिक्रय पका लिखा की मूल्य लैरन्धकारीशि ने इस प्रकार से लिखे के श्रेक १०००० एक हजार रुपये रेहनदखली यानि बन्धकी प्राधिकार पत्र द्वारा महाजन बाबूलाल राम सा० सतीयोड़ा दानापुर के बाकी है उसको लैरन्धकारीशि खानासंख्या २ के पास प्रभानन दीप दिये है लैरन्ध के पीछे रसूली लिखकर दी धरेडि शुभसिंह उ० बकाश्तउल्लाह इकरारा कागज भी कापी लेके भविष्यम के लिए तथ्यत यानि प्रकारा रखेंगे की श्रेक १०००० एक हजार रुपया चिरकुट के समय लैरन्धकारीशि से वसूल करेंगे। की लैरन्धकारीशि

दस्तावेज मेरी ओर से तैयार किया गया है

दे सम्पत्ति खाता संख्या 4 पर इसी प्रतिभार देते
है कि वित में पैदा हो कोई अपना नाम जिसजिस
खान में उचित जाने लेख्यकारी है यथा परिस्थ
या दीक्षित अपनी भाग प्रीकित उरालिखी; इसमें लेख्य
कारी प्रथम्न हित है उत्तराधिकारी को भाव होंगे
प्रतिभार नहीं रहा, बल्कि जो भी प्रतिभार था वो
भविष्य में होने दिने वो कुल प्रतिभार आज दिन
से लेख्य धारीया खाता संख्या 2 को प्रतिभार हुआ।
वो प्रगट लेख्यकारी सम्पत्ति खाता संख्या 4 के धोड़ा वा पूरा से
लेख्य धारीया को प्रतिभार रहित कर देंगे तो लेख्यकारी
कर पत्रिका सम्पत्ति के भाग 2 (1) एक हजार रुपये का भाग हकदारी
लगा उसूल को लेंगे नहीं उजूर नहीं हो नहीं होगा / इसलिए
लिख्य पत्र लिख दिया कर प्रमाण रहे। इति।

ता० (7) सात अप्रैल सन् 82 इस्वी। Stamp

7 अप्रैल 1982